

फर्द अहकाम

न्यायालय _____

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

सती देवी

बनाम माला वगैरह

मुकदमा संख्या / वर्ष 8/2018 : प्रा.पत्र 251(क) / 20

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	16.03.2021	वकुलाय उप. व इन्तजार मीका रिपोर्ट दिनांक 30.03.2021 को पेश हो।	
	30-3-21	वकुलाय उपरिष्ठात। तहसीलदार विरहागर द्वारा प्रार्थना सती देवी की आराजी वर्तित प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में 175 R.T.A के तहत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है। प्रार्थना पत्र का अपलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि प्रार्थना की शर्तकारी शर्तों के तहत दारी सुझाव कर विवाधन्क घोषित करने की प्रार्थना की है ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) की कार्यवाही इस स्वरूप न्यायालय चलने योग्य नहीं पाता है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि प्रकार 175 R.T.A के निस्तारण के पश्चात यदि आवश्यक हुआ तो प्रार्थी के आवेदन निवेदन पर उक्त कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकेगी।	

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)